दी सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भीलवाड़ा

शाखा .....

एप्रेजल नोट

आवेदक श्री.....पुत्र श्री.....

निवासी.....पता.....

.....मालिक फर्म.....द्वारा अपने व्यापार को बढ़ाने हेतु (केश क्रेडिट लिमिट रू. .....अक्षरे रू. ..... के लिए आवेदन किया है। आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रपत्र संलग्न किये है जिसकी सत्यता आवेदक से साक्षात्कार कर निर्धारित कर ली गई है।

क्र.सं.	नाम प्रपत्र	संलग्न है/ अथवा नहीं
1.	आवेदक का फोटू मय राशन कार्ड	.....
2.	आवेदक फर्म का एकल स्वामित्व रखता है। अत: स्वामित्व संबंधी घोषणा पत्र नियमानुसार स्टाम्प पर	.....
3.	पार्टनरशिप फर्म होने पर पार्टनर शिप डीड की प्रति	.....
4.	आवेदक के व्यापार संबंधी पीछले तीन वर्ष के आर्थिक आंकड़े व्यापार खाता लाभ-हानि खाता एवं बेलेन्सशीट	.....
5.	व्यवसाय का पंजीयन प्रमाण पत्र	.....
6.	आवेदक के व्यवसायिक परिसर के स्वामित्व/किराये नामे संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति	.....
7.	विक्रय कर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति	.....
8.	नाबाकियात प्रमाण पत्र	.....
9.	पीछले तीन वर्षो के आयकर रिटर्न की प्रति एवं आयकर भुगतान करने पर आयकर चालान की प्रति	.....
10.	दिनांक.....के अंतिम स्टॉक की सूची प्रमाणित शुदा -	.....
11.	आवेदक द्वारा ऋण के पेटे कोलेटरेल सिक्यूरिटीज में रखी जाने वाले सम्पत्ति के मूल दस्तावेजों की प्रतियां	.....
12.	जमानतदारों के फोटू, राशनकार्ड एवं हैसियत के प्रमाण स्वरूप सम्पत्ति के दस्तावेजों की प्रतियां	.....
13.	रहन रखी जाने वाली सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट	.....
14.	रहन रखी जाने वाली सम्पत्ति का मूल्यांकन रिपोर्ट बैंक वेल्यूवर द्वारा	.....
15.	.....	
16.	.....	

आवेदक श्री.....को नियमानुसार बैंक का नोमिनल सदस्य बनालिया गया है एवं आवेदक के लिए जमानत प्रस्तुत कर्ता जमानतदारों से साक्षात्कार कर उनकी हैसीयत ऋण राशि के अनुपात में तस्दीक की जाकर जमानतदारों को भी नियमानुसार बैंक का नोमिनल सदस्य बना लिया गया है। ऋण/आवेदक/जमानतदार द्वारा रू ..... की अचल सम्पत्ति के मूल दस्तावेज इक्वीटेबल मोरगेज कराने के लिए सहमत है जिसकी छाया प्रति मय मूल्यांकन प्रमाण पत्र एवं नाभाग प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में संलग्न है। उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन भी मेरे द्वारा कर लेने के साथ-साथ आवेदक के व्यापारिक प्रतिष्ठान का भी मेरे द्वारा विजिट किया गया है। वक्त विजिट व्यापारिक प्रतिष्ठान में उपलब्ध स्टाक की सूची संलग्न है जिसके अनुरूप विजिट दिनांक.....को रू ..... मूल्य का स्टाक उपलब्ध थ। जो पत्रावली में संलग्न है। अन्य दस्तावेज ऋण स्वीकृति उपरान्त निष्पादित कराकर विधिक जांच कराली जावेगी जिसे ऋण पत्रावली के साथ रेकार्ड में रखा जावेगा। अत: उपरोक्तानुसार आवेदन पत्र की जांच करली गई है एवं ऋणी व प्रस्तावित जमानतदारों से साक्षात्कार कर लिया गया है। ऋण हेतु पात्रता निम्नानुसार निर्धारण योग्य है।

(A) आवेदक द्वारा ऋण की सुरक्षा हेतु प्रस्तुत कोलेरेटेल सिक्यूरिटी का वर्तमान बाजार मूल्य...../ DLC दरों के आधार पर मूल्य..... दोनों में से जो भी कम है का ½ राशि.....
.....

(B) आवेदक के व्यापारिक प्रतिष्ठान में उपलबध स्टॉक रू. .....का 40% राशि रू. .....

(C) आवेदक द्वारा प्रस्तुत तीन वर्षों की बिक्री की औसत का 10 % .....

(D) आवेदक द्वारा चाही गई साख सीमा रू. .....

अत: आवेदक श्री..... रू. .....

की साख सीमा उपरोक्त पैरा A,B,C,D के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने की पात्रता रखता है।

अत: मैं आवेदक के पक्ष में वर्ष..... के लिए रू .....

की साख सीमा स्वीकृत करने की सिफारिश करता हूं।

शाखा व्यवस्थापक

शाखा.....

दी सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भीलवाड़ा

-: नकद साख सीमा (दृष्टि बन्धक) के लिये आवेदन -पत्र :-

फोटो आवेदक

श्रीमान प्रबन्ध निदेशक

दी सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,

भीलवाड़ा (राज.)

महोदय,

मैं/हम नकद साख सुविधा हेतु ऋण के लिये बैंक से रूपये.....अक्षरे रूपये.....

.....के लिये आवेदन करता / करती हूं / करते हैं। आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है।

1. फर्म / व्यवसाय का नाम : .....
2. फर्म का पूरा पता : .....
3. टेलीफोन नं. : .....
4. स्वत्वाधिकार / साझेदारी : .....
   पार्टनरशिप डीड के अनुसार सभी भागीदारों
   का पूर्ण विवरण संलग्न करें) .....
   - अ नाम : .....
   - आ पिता/पति का नाम : .....
   - ई वर्तमान पता : .....
     .....
     .....
   - उ टेलीफोन नं. : .....
   - ऊ स्थाई पता : .....
     .....
     .....
   - ए टेलीफोन नं. : .....
   - ऐ आयु : .....
5. फर्म में किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता है : .....
6. व्यापार शुरू करने की तारीख : .....
7. व्यवसाय का विवरण (लघु उद्योग हो तो : .....
   पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
8. व्यवसाय का परिसर स्वयं का है या किराये का : .....
   (किराये का हो तो किराया नामा संलग्न करें)
9. व्यवसाय का लाईसेन्स, अन्य पंजीकरण : .....

(यदि हो तो विवरण व प्रति संलग्न करें)

10. व्यवसाय में साप्ताहिक अवकाश का दिन : .....

11. विक्रय कर पंजीकरण नं. : .....

12. अंतिम विक्रय कर निर्धारण : वर्ष निर्धारित बिक्री विक्रय कर की राशि

13. रोजगार : पूर्ण कालिक अंशकालिक

वर्तमान :

14. वर्तमान बैंकर्स के नाम और खाते का विवरण : .....

15. आवेदक का इस बैक में खाते का विवरण : .....

व खाता नम्बर

(पिछले तीन माह का स्टैटमैंट ऑफ एकाउन्ट संलग्न करें)

16. उन सभी अन्य वित्तीय संस्थाओं व विभागों : .....

का नाम, विवरण, जिनसे आवेदक ने ऋण

लिया है या आवेदन किया है। : .....

17. आवेदक ने अन्य बैंक से ऋण लिया है/आवेदन : .....

किया हो तो विवरण दें।

18. अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त बकाया : .....

ऋण का विवरण

19. विगत तीन वर्षों के आयकर निर्धारण

	वर्ष	निर्धारित आय	कर की राशि
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....

20. क्रय विक्रय एवम् आय-व्यय का विवरण

(गत तीन वर्षों के)	वर्ष	वर्ष	वर्ष .....

1. व्यापार में स्वयं की पूंजी : .....
2. वर्ष में क्रय : .....
3. वर्ष में विक्रय : .....
4. अन्तिम स्टॉक : .....
5. शुद्ध लाभ : .....
6. आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख : .....

21. (अ) आवेदक की चल सम्पत्ति का विवरण : .....

(ब) कुल चल सम्पत्ति की अनुमानित कीमत : .....

22. अचल सम्पत्ति

1. सम्पत्ति का ब्यौरा : .....
2. कहाँ स्थित है और पता : .....

.....

3. अनुमानित कीमत : .....

4. मालिकाना हक (खुद की या भागीदारी में या संयुक्त परिवार की) : .....

23. संदर्भ हेतु दो नाम व पते दें 1 : .....

.....

2 : .....

.....

क) दो परिचित फर्मो/व्यक्तियों के नाम व पते अंकित करें। 1. : .....

.....

2. : .....

.....

ख. आपके प्रमुख सप्लायर्स के नाम व पते अंकित करें 1 : .....

.....

2 : .....

: .....

ग. आपके प्रमुख ग्राहक के नाम व पते अंकित करे। 1. : .....

.....

2. : .....

.....

24. जमानती के नाम पिता का नाम व पता 1. : .....

: .....

: .....

2. : .....

: .....

: .....

मैं/हम आवेदक घोषणा करता/करती/करते हैं कि उपरोक्त दिये हुए सभी विवरण मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। यदि यह ऋण मन्जूर किया जाता है, तो उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जावेगा, जिसके लिये मन्जूर किया गया है। मेरा/हमारा बैंकिंग व्यवहार केवल आपके बैंक तक सीमित रहेगा और मेरी/हमारी आय/बिक्री आपके बैंक खाते में जमा की जावेगी। मैं/ हम आपकी पूर्व लिखित सहमति के बिना ऋण की कालवधि में किसी अन्य बैंक या किसी अन्य स्त्रोत से उधार नहीं लिया जावेगा।

भवदीय

आवदेक के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर

दिनांक .....

स्वीकृति उपरान्त शाखा स्तर की कार्यवाही

ऋण खाता संख्या.....खाता खोलने की दिनांक.....

ऋण खाता पृष्ट.....ऋणी से प्राप्त स्टॉक स्टेटमेन्ट मूल्य रूपये.....

पर स्टॉक का 40 प्रतिशत मार्जिन रखकर रूपये.....का ऋण आहरण सीमा निर्धारित की यी। एवं चैक बुक संख्या नं.....से.....तक जारी की गई पत्रावली की पुनः जांच कर समस्त रिक्तियों की पूर्ति सुनिश्चित की गई।

लिपिक (ऋण)

शाखा व्यवस्थापक

जमानती का विवरण एवं सहमति पत्र

शाखा प्रबन्धक,
दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. भीलवाड़ा

शाखा.....

जमानतदार
का
फोटो

महोदय,

श्री.....पुत्र/पत्नि श्री.....
जिन्होंने आपकी बैंक से ऋण रु.....लेने हेतु आवेदन किया है मैं उक्त वर्णित ऋण के लिए जमानत देने को अपनी सहमति देता हूं तथा जमानती के रूप में उन समस्त पत्रादि एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को तैयार हूं जो कि बैंक द्वारा ऋण स्वीकार करने पर ऋणी सदस्य से निष्पादित कराये जायेंगे।

विवरण निम्न प्रकार है –

1. नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. घर का पता.....
   .....
4. पद, कार्यालय का नाम, पता व टेलिफोन नं. –
   .....
5. सर्विस या व्यवसाय में कब से है.....
6. मासिक वेतन/व्यवसाय से आय रु .....कटौती रु. .....शुद्ध आय रु. .....
   (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. आप प्रार्थी को कब से जानते है .....
   तथा आपका उनसे क्या सम्बन्ध है .....
8. क्या आपने बैंक से किसी प्रकार का ऋण ले रखा है यदि 'हाँ' तो राशि व विवरण देवें .....
   .....
9. अन्य दी गई जमानत का विवरण.....
10. हैसियत के प्रमाण स्वरूप सम्पत्ति के दस्तावेजों की संलग्न छायाप्रति के अनुसार विवरण
    (अ) चल/अचल सम्पत्ति का विवरण – .....
    (ब) बाजार मूल्य .....
    (स) क्या सम्पत्ति भार मुक्त है ? .....
    ऋण होने की स्थिति में विस्तृत .....
    विवरण अंकित करें।

स्थान : .....

दिनांक : .....

(जमानती के हस्ताक्षर)

(जमानती द्वारा भरा जावे)

इकरारनामा

(राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत)

मैं.....पुत्र पुत्री/पत्नि श्री.....

दी सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. भीलवाड़ा की स श्रेणी सदस्य हूं। मैंने श्री.....के ऋण रुपये...../- (अक्षरे.....) की जमानत दी है। इस ऋण को यदि ऋणी नहीं चुकाता है तो उस समस्त ऋण अथवा शेष बकाया ऋण ब्याज सहित को चुकाने के लिए मैं इस बैंक के साथ इकरार करता हूं कि बैंक राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत मेरे विभागीय प्रधान अधिकारी अथवा वेतन भुगतान अधिकारी जो भी हो को मासिक मांग-पत्र भेजने पर मेरे वेतन में से किश्त, ब्याज की कटौती कर बैंक में जमा करायी जा सकती है। जिसके लिए मैं मेरे वेतन भुगतान अधिकारी को अधिकार देता हूं कि बैंक मांग-पत्र के अनुसार रकम मेरे वेतन में से काटकर बैंक में जमा करवा सकते हैं। इसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति एवं आनाकानी नहीं होगी। मासिक किश्त कटवाने में आनाकानी करने पर अन्य कोई भी कार्यवाही इस बाबत करें जो मुझे मान्य होगी। ऋण की कटौती मेरे कुल वेतन के 1/3 भाग से अधिक भी कटाने का अधिकार देता हूं।

दिनांक.....

(हस्ताक्षर जमानती)

नाम.....

पद.....

कार्यालय.....

घर का पता.....

.....

.....

गवाह के हस्ताक्षर

1. नाम.....

2. नाम.....

जमानती का विवरण एवं सहमति पत्र

शाखा प्रबन्धक,
दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. भीलवाड़ा

शाखा.....

जमानतदार
का
फोटो

महोदय,

श्री.....पुत्र/पत्नि श्री.....
जिन्होंने आपकी बैंक से ऋण रु.....लेने हेतु आवेदन किया है मैं उक्त वर्णित ऋण के लिए जमानत देने को अपनी सहमति देता हूं तथा जमानती के रूप में उन समस्त पत्रादि एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को तैयार हूं जो कि बैंक द्वारा ऋण स्वीकार करने पर ऋणी सदस्य से निष्पादित कराये जायेंगे।

विवरण निम्न प्रकार है -

1. नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. घर का पता.....
.....
4. पद, कार्यालय का नाम, पता व टेलिफोन नं. -
.....
5. सर्विस या व्यवसाय में कब से है.....
6. मासिक वेतन/व्यवसाय से आय रु .....कटौती रु. .....शुद्ध आय रु. .....
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. आप प्रार्थी को कब से जानते है .....
तथा आपका उनसे क्या सम्बन्ध है .....
8. क्या आपने बैंक से किसी प्रकार का ऋण ले रखा है यदि 'हाँ' तो राशि व विवरण देवें .....
.....
9. अन्य दी गई जमानत का विवरण.....
10. हैसियत के प्रमाण स्वरूप सम्पत्ति के दस्तावेजों की संलग्न छायाप्रति के अनुसार विवरण
(अ) चल/अचल सम्पत्ति का विवरण - .....
(ब) बाजार मूल्य .....
(स) क्या सम्पत्ति भार मुक्त है ? .....
ऋण होने की स्थिति में विस्तृत .....
विवरण अंकित करें।

स्थान : .....

दिनांक : .....

(जमानती के हस्ताक्षर)

(जमानती द्वारा भरा जावे)

इकरारनामा

(राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत)

मैं.....पुत्र पुत्री/पत्नि श्री.....

दी सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. भीलवाड़ा की स श्रेणी सदस्य हूं। मैंने श्री.....के ऋण रुपये...../- (अक्षरे.....) की जमानत दी है। इस ऋण को यदि ऋणी नहीं चुकाता है तो उस समस्त ऋण अथवा शेष बकाया ऋण ब्याज सहित को चुकाने के लिए मैं इस बैंक के साथ इकरार करता हूं कि बैंक राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत मेरे विभागीय प्रधान अधिकारी अथवा वेतन भुगतान अधिकारी जो भी हो को मासिक मांग-पत्र भेजने पर मेरे वेतन में से किश्त, ब्याज की कटौती कर बैंक में जमा करायी जा सकती है। जिसके लिए मैं मेरे वेतन भुगतान अधिकारी को अधिकार देता हूं कि बैंक मांग-पत्र के अनुसार रकम मेरे वेतन में से काटकर बैंक में जमा करवा सकते हैं। इसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति एवं आनाकानी नहीं होगी। मासिक किश्त कटवाने में आनाकानी करने पर अन्य कोई भी कार्यवाही इस बाबत करें जो मुझे मान्य होगी। ऋण की कटौती मेरे कुल वेतन के 1/3 भाग से अधिक भी कटाने का अधिकार देता हूं।

दिनांक.....

(हस्ताक्षर जमानती)

नाम.....

पद.....

कार्यालय.....

घर का पता.....

.....

.....

गवाह के हस्ताक्षर

1. नाम.....

2. नाम.....

The Central Co-Operative Bank Limited,

BHILWARA 311 001

* * *

NODUE CERTIFICATE

We have received a loan application of Shri.....s/o.....
.....adress.....of Bhilwara Please advise us whether you shave due or ..... against the application.

Manager

FINANCIAL INSTUTION :

1. STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR, KRISHI UPAJ MANDI, BHILWARA
2. S.B.B.J. IND ESTATE BHILWARA
3. CENTRAL BANK OF INDIA
4. BANK OF BARODA, NAGORI GARDEN
5. BANK OF BARODA, S.S.I. GANDHI NAGAR
6. THE ORIENTAL BANK OF COMMERCE LTD.
7. THE BANK OF RAJASTHAN
8. PUNJAB NATIONAL BANK, NAGORI GARDEN
9. STATE BANK OF INDIA
10. PUNJAB NATIONAL BANK, BHOPAL GANJ
11. STATE BANK OF INDIA EVEVING BR.
12. STATE BANK OF BIKANAER & JAIPUR, BILIA IND. AREA
13. UNION BANK OF INDIA
14. REGIONAL RURAL BANK (GRAMIN BANK)
15. PUNJAB NATIONAL BANK, SANANERI GATE
16. BANK OF INDIA
17. STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR, INDRA MARKET (EVENING BRANCH)
18. S.B.B.J. JASWANT CINEMA
19. U.CO. BANK
20. CANARA BANK
21. INDIAN BANK
22. DENA BANK
23. BHILWARA URBAN CO-OP. BANK LTD.
24. BHILWARA URBAN CO-OP. BANK LTD. NAGORI GARDEN BR.
25. BHILWARA URBAN CO-OP. BANK LTD. BAPU NAGAR. BR.
26. BHILWARA URBAN CO-OP. BANK LTD. NEAR BARA MANDIR
27. BHILWARA MAHILA URBAN CO-OP. BANK LTD. BHILWARA
28.
29.
30.

(स्टाम्प कम से कम 100 रु.ऋण का 0.10%)

ऋण अनुबन्ध-पत्र

दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. भीलवाड़ा के पक्ष में श्री.....
..... की ओर से।

बैंक ने मुझे/फर्म को रुपये ...../ अक्षरे.....
..... रुपये मात्र .....योजनाके अन्तर्गत ऋण उधार देना स्वीकार किया है। इस सम्बन्ध में नीचे लिखी शर्तों का पालन करना स्वीकार किया है तथा उसके अनुसार हम/मैं बैंक के प्रति उत्तरदायी रहेंगे/रहूंगा।

1. मैं/हमनें बैंक से लिये गये ऋण के अनुसार बैंक के पक्ष में वचन पत्र दूंगा/देगें/दूगीं।

2. उपरोक्त ऋण के लिए बैंक एक खाता रखेगा। वचन पत्र में ब्याज अदा करने के लिए किसी प्रकार की कोई शर्त हो तो भी हम प्रतिवर्ष के लिए कर्ज का ब्याज सितम्बर 30, दिसम्बर 31 मार्च 31 एवं जून 30 को नकद अदा करेंगे और ब्याज अदा न करने पर उस तारीख तक की ब्याज की रकम ऋण खाते में नामे लिख देने का बैंक को अधिकार होगा।

3. वचन पत्र में ब्याज की दर के लिए कुछ भी नहीं लिखा होने पर भी बैंक को दिये हुए ऋणों पर नीचे लिखी शर्तों के अनुसार ब्याज लगाने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

   (अ) बैंक द्वारा निश्चित अवधि में या मांग पर जो भी पहले हो.....,प्रति सैकड़ा से रकम पर ब्याज लगाया और जोड़ा जायेगा।

   (ब) यदि दिये हुए कर्जे की मियाद तथा बैंक द्वारा बढ़ाई गई मियाद के बाद भी रकम बाकी रहे तो दण्डनीय ब्याज 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगाया और जोड़ा जावेगा।

4. वचन पत्र में लिखी हुई रकम यदि निश्चित अवधि के पहले चुकाई जावेगी तो बैंक को स्वीकार करनी होगी। और कटती मिति से ब्याज लगाया जायेगा।

5. वचन पत्र की रकम यदि समय पर न चुकाई जावेगी अथवा इस ऋण पत्रकी किसी शर्त को भंग किया जावेगा अथवा बैंक की संचालन समिति की सम्मत्ति में फर्म के मालिक या किसी साझेदारे के चले जाने के बाद अथवा किसी दूसरे कारणों से यदि बैंक के कर्ज की वसूली होने में कोई खतरा पैदा होने की संभावना हो तो बैंक को ऋण खाते की समस्त रकम को एक मुश्त मांगने तथा वसूल करने का हक होगा।

6. जब तक मेरे/फर्म द्वारा बैंक से लिया गया ऋण मय ब्याज तथा अन्य खर्चों के बैंक को अदा नही कर नाबाकियात प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त कर लिया जाता है तब तक मेरी/फर्म की कुल वर्तमान तथा भविष्य में अर्जित चल एवं अचल सम्पत्ति जिसमें मेरें/फर्म के द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गई कोलेटरेल सिक्योरेटी में शामिल होगी जिस पर बैंक को पूरा प्रथम अधिकार होगा तथा मुझसे/हमारे को उपरोक्त सम्पत्ति को बिना ऋणमय ब्याज अदायगी या बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना बेचने अथवा रहन करने अथवा किसी रूप में बन्धक करने का अधिकार नहीं होगा।

7. यदि मेरे/फर्म द्वारा उपरोक्त शर्तो के पालन में कोई कसर रहे या बैंक अपने ऋण की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे तो बैंक को अधिकार होगा कि मेरी/फर्म की समस्त स्टाक चल व अचल सम्पत्ति को अपने कब्जे में कर लेवे और उस पर अपना ताला लगावें। साथ ही बैंक उपरोक्त स्टाक व कोलटरेल सिक्यूरिटी में रखी गयी सम्पत्ति को बेच कर बकाया ऋण राशि एवं उस तारीख तक ब्याज मय खर्चे के वसूल कर लेवे। इस कार्यवाही में मुझे/फर्म को कोई उज्र नहीं होगा।

8. ऋण स्वीकृति के पश्चात मेरे/फर्म द्वारा अन्य किसी अन्य बैंक में खाता नहीं रखा जायेगा एवं व्यवसाय से सम्बन्धित समस्त लेन-देन इस बैंक के खाते के माध्यम से ही किया जायेगा एवं नकद बिक्री राशि भी बैंक में जमा कराई जायेगी। मेरे/हमारे/फर्म द्वारा बैंक को मासिक/पाक्षीक स्टाक सूचि प्रस्तुत की जावेगी एवं उक्त माल को दृष्टिबंधक रखा जावेगा।

9. आज दिनांक.....को इस आलेख पर हमने पूरे होश हवास व अकल से पढ़ व समझ कर हस्ताक्षर किये हैं।

वास्ते - .....

(आवेदक) के हस्ताक्षर

गवाह के हस्ताक्षर

1. नाम.....

पता.....

.....

नाम .....

पता .....

.....

2. नाम.....

पता.....

.....

(स्टाम्प कम से कम 100 रु.)

जमानत अनुबन्ध-पत्र

दिनांक.....

प्रेषिती :-

दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

भीलवाड़ा

प्रिय श्रीमान्

जैसा कि आपकी बैंक द्वारा .....ऋण योजना के अन्तर्गत श्री.....पुत्र श्री..... (जिसे आगे ऋणी कहा जावेगा) निवासी..... को रु..... (अक्षरे रु.....) का ऋण देना स्वीकार किया है। उक्त ऋणी को जारी किये गये समस्त ऋण मय ब्याज/अन्य देयता एवं वचन पत्र के लिए मैं/हम एतद्वारा एकल/संयुक्त रूप से अपनी व्यक्तिगत जमानत देता हूं।

यह है कि मेरी व्यक्तिगत हैसियत कुल चल-अचल सम्पत्ति से रु..... (अक्षरे रु.....) की है। उक्त चल एवं अचल सम्पत्ति को यह जमानत पत्र निष्पादित करने के उपरान्त अन्य कोई भार अथवा बेचान मेरे द्वारा नहीं किया जायेगा।

यह है कि मैं आपकी बैंक का नोमिनल सदस्य हूं एवं सहकारी अधिनियम के समस्त प्रावधान मुझ पर प्रभावी होंगे।

यह है कि मैं गर्भित स्वीकृति प्रस्तुत करता हूं कि बैंक का पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त ऋणी के विरूद्ध बकाया ऋण तातारीख ब्याज एवं अन्य देयताओं के लिए मेरी पूर्व स्वीकृति के बिना ऋणी की ओर बकाया ऋण,ब्याज एवं अन्य देयताओं की बाकीयात के विरूद्ध मेरी चल, अचल सम्पत्ति को अधिग्रहण कर जरीए बिक्री समस्त बकाया राशि को एक मुश्त वसूल कर सकेगा। यदि ऋणी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज एवं अन्य देयता का चुकारा आपकी बैंक को नहीं किया जाता है तो जरिए यह अनुबंध पत्र मैं उक्त ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं के चुकाने के लिए प्रतिबद्ध होऊंगा एवं बैंक द्वारा उक्त ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं की वसूली हेतु मेरी चल-अचल सम्पत्ति जरीए विक्रय बकाया राशि वसूल की जायेगी। जिसके लिए मुझे किसी प्रकार का उज्र एवं एतराज नहीं होगा।

ऋणी की और से किसी भी दिनांक को बकाया ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं का बैंक को चुकारा नहीं किया जावेगा तो मैं उक्त बकाया समस्त राशि मय हर्जा खर्चा जमा कराने के लिए प्रतिबद्ध हूं/ होंगे।

यह है कि उक्त ऋणी द्वारा व्यवसाय का समापन कर दिया जावे या अथवा दिवालीया हो जाने पर भी एतद् जमानत पत्र में उक्त ऋणी की ओर बकाया समस्त ऋण ब्याज एवं अन्य देयताओं के चूकारे के लिए प्रतिबद्ध होऊंगा एवं बैंक को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बैंक मेरी चल-अचल सम्पत्ति को विक्रय कर उक्त बकाया समस्त राशियां वसूल कर सकें। जिसके लिए मुझे कोई उज्र/ एतराज नहीं होगा।

यह है कि यह जमानत अनुबंध पत्र जब तक ऋणी द्वारा अथवा मेरे द्वारा बकाया समस्त ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं के सहित आपकी बैंक को अदा कर नाबाकियात प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लेता तब तक के लिए मुझ पर प्रभाव शील होगा एवं मुझ पर बन्धन कारी रहेगा।

यह है कि यह जमानत अनुबद्ध पत्र आज दिनांक .....को निम्नाकिंत साक्षियों के समक्ष हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया गया है। जो वक्त जरूरत काम आवें।

साक्षी के हस्ताक्षर

1. नाम.....

   पता.....

2. नाम.....

   पता.....

जमानतदार के हस्ताक्षर

1. नाम.....

   पता.....

   .....

(स्टाम्प कम से कम 100 रु.)

जमानत अनुबन्ध-पत्र

दिनांक.....

प्रेषिती :-

दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

भीलवाड़ा

प्रिय श्रीमान्

जैसा कि आपकी बैंक द्वारा .....ऋण योजना के अन्तर्गत श्री.....पुत्र श्री..... (जिसे आगे ऋणी कहा जावेगा) निवासी..... को रु..... (अक्षरे रु.....) का ऋण देना स्वीकार किया है। उक्त ऋणी को जारी किये गये समस्त ऋण मय ब्याज/अन्य देयता एवं वचन पत्र के लिए मैं/हम एतद्द्वारा एकल/संयुक्त रूप से अपनी व्यक्तिगत जमानत देता हूं।

यह है कि मेरी व्यक्तिगत हैसियत कुल चल-अचल सम्पत्ति से रु..... (अक्षरे रु.....) की है। उक्त चल एवं अचल सम्पत्ति को यह जमानत पत्र निष्पादित करने के उपरान्त अन्य कोई भार अथवा बेचान मेरे द्वारा नहीं किया जायेगा।

यह है कि मैं आपकी बैंक का नोमिनल सदस्य हूं एवं सहकारी अधिनियम के समस्त प्रावधान मुझ पर प्रभावी होंगे।

यह है कि मैं गर्भित स्वीकृति प्रस्तुत करता हूं कि बैंक का पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त ऋणी के विरूद्ध बकाया ऋण तातारीख ब्याज एवं अन्य देयताओं के लिए मेरी पूर्व स्वीकृति के बिना ऋणी की ओर बकाया ऋण,ब्याज एवं अन्य देयताओं की बाकीयात के विरूद्ध मेरी चल, अचल सम्पत्ति को अधिग्रहण कर जरीए बिक्री समस्त बकाया राशि को एक मुश्त वसूल कर सकेगा। यदि ऋणी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज एवं अन्य देयता का चुकारा आपकी बैंक को नहीं किया जाता है तो जरिए यह अनुबंध पत्र मैं उक्त ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं के चुकाने के लिए प्रतिबद्ध होऊंगा एवं बैंक द्वारा उक्त ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं की वसूली हेतु मेरी चल-अचल सम्पत्ति जरीए विक्रय बकाया राशि वसूल की जायेगी। जिसके लिए मुझे किसी प्रकार का उज्र एवं एतराज नहीं होगा।

ऋणी की और से किसी भी दिनांक को बकाया ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं का बैंक को चुकारा नहीं किया जावेगा तो मैं उक्त बकाया समस्त राशि मय हर्जा खर्चा जमा कराने के लिए प्रतिबद्ध हूं/ होंगे।

यह है कि उक्त ऋणी द्वारा व्यवसाय का समापन कर दिया जावे या अथवा दिवालीया हो जाने पर भी एतद् जमानत पत्र में उक्त ऋणी की ओर बकाया समस्त ऋण ब्याज एवं अन्य देयताओं के चूकारे के लिए प्रतिबद्ध होऊंगा एवं बैंक को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बैंक मेरी चल-अचल सम्पत्ति को विक्रय कर उक्त बकाया समस्त राशियां वसूल कर सकें। जिसके लिए मुझे कोई उज्र/ एतराज नहीं होगा।

यह है कि यह जमानत अनुबंध पत्र जब तक ऋणी द्वारा अथवा मेरे द्वारा बकाया समस्त ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं के सहित आपकी बैंक को अदा कर नाबाकियात प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लेता तब तक के लिए मुझ पर प्रभाव शील होगा एवं मुझ पर बन्धन कारी रहेगा।

यह है कि यह जमानत अनुबद्ध पत्र आज दिनांक .....को निम्नाकिंत साक्षियों के समक्ष हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया गया है। जो वक्त जरूरत काम आवें।

साक्षी के हस्ताक्षर

1. नाम.....

   पता.....

2. नाम.....

   पता.....

जमानतदार के हस्ताक्षर

1. नाम.....

   पता.....

   .....

प्रतिज्ञा-पत्र

जो कि दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. भीलवाड़ा ने .....
.....

की प्रार्थना पर अपनी किताबों में, प्रार्थी को.....ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण सीमा रू.....(अक्षरे .....) तक खोलना निश्चित किया हैं इसके लिए हमें/मुझे निम्न शर्ते मान्य है -

1. इस प्रतिज्ञा पत्र के अन्तर्गत बैंक में किसी भी समय उस रकम से अधिक रुपया नहीं मांगा जावेगा जो ऋणी के खाते या खातों को कुल देय रुपये..... से अधिक न होगी। परन्तु ऋणी (जो आगे ऋणी के नाम से सम्बोधित होगी) समस्त रकम के भुगतान के लिये जो कि उसके नाम इस खाते या खातों में भुगतान करने योग्य हैं, वह उपरोक्त निर्धारित सीमा से चाहे अधिक भी हो, देने के लिये बाध्य होगा।
2. यदि ऋण की रकम ऋणी के पक्ष में निर्धारित सीमा से जो ऊपर निर्धारित की गई है अधिक हो जाये तो बैंक को यह अन्तिम निर्णय करने का पूरा अधिकार होगा कि निम्नलिखित धारा 8 के अनुसार लिखे गये वचन पत्र से लिखी गई रकम को कौनसा हिस्सा प्रोनोट में वर्णित धारा 8 के अनुसार सुरक्षित है और कौनसा असुरक्षित हैं
3. बैंक इसके लिए स्वतंत्र होगा कि उक्त निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ऋण एक या एक से अधिक किश्तों में दे या जिस समय के भीतर व ठीक समझे दें।
4. बैंक किसी भी समय बिना पूर्व सूचना दिये और बिना कोई भी कारण बताये हुए ऋण देने से मना कर सकती हैं चाहे ऋणी ने निर्धारित सीमा .....रु. तक ऋण प्राप्त किया है या नहीं।
5. ब्याज.....वार्षिक के हिसाब से प्रति त्रैमास उक्त खाते या खातों के प्रतिदिन के शेष पर अन्तिम कार्य के दिन तक लगाया जावेगा।
6. बैंक द्वारा मांग करने पर जो ऋणी द्वारा उक्त खाता या खातों के अनुसार उसे देय है उसका भुगतान देय तिथि तक की ब्याज, उपरोक्त दर के अनुसार और अन्य कोई भार व खर्च जो बैंक द्वारा निर्धारित किये गये हैं। अथवा दिये गये हो, का भुगतान भी ऋणी को करना होगा और भार व खर्चे आदि के सम्बन्ध में बैंक कि किताबे प्रमाणित होगी और ऋणी को उनकी सत्यता बिना किसी पत्र या वाउचर देखे मान्य होगी।
7. यदि बैंक को ऋण वसूल करने में कोई कानूनी कार्यवाही करनी पड़ी तो ऋणियों का ऋण वसूल करने के समय तक का पूरा व्यय बैंक को देना होगा साथ ही कानूनी कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में जो व्यय वाद प्रस्तुत करने के बाद होगा वह भी ऋणी को देना होगा।
8. सम्बन्धित वचन पत्र दिनांक.....को रुपये..... (.....) को ऋण द्वारा बैंक के पक्ष में उस रकम के भुगतान के लिये लिखा गया है जो ऋण खाते के अनुसार किसी भी दिन ऋणी पर बकाया होकर मान्य होगा।
9. ऋण के इन खातों या खाते में किसी समय यदि कोई शेष (बैलेन्स) जमा (क्रेडिट) होगी तो उस पर बैंक से ब्याज लेने का अधिकारी नहीं होगा।
10. यदि बैंक चाहेगा तो ऋणी बैंक के पक्ष में सब कच्चा माल तथा तेयार शुदा माल, मोटर, मशीन, गाड़िया, मकान औजार आदि जो ऐसे ऋण से खरीदे गये हो या बनाये गये हो या बनवाये गये हो की कीमत पर बैंक द्वारा स्वीकृत बीमा कम्पनी या कम्पनियों द्वारा बीमा करावेगा।
11. ऋणी बैंक की मांग पर, यदि उसने कोई बीमा करा रखा हैं तो वे समस्त बीमापॉलिसी जिनकी किश्त का भुगतान किया जा चुका हैं, बैंक के नाम करके उसके पूरे लाभ के साथ बैंक को दे देगा। यदि ऋणी उपरोक्त रुपये का बीमा कराने या बीमा पॉलिसी अथवा किश्त की रसीद बैंक को उसकी मांग के तीन दिन के भीतर देने में अथवा उसके हित में परिवर्तन करने में असमर्थ रहा, तो बैंक ऋणी के खर्चे पर बीमा

कराने को स्वतंत्र होगा।

12. ऋणी वचन देता है कि :-

अ) ऋणी ऋण की रकम अधिक से अधिक ऋण प्राप्त करने के बाद निर्धारित समय के अन्दर-2 ब्याज सहित तथा हर हाल में दिनांक..... तक चुका देगा।

ब) ऋण की रकम उसी/उन्हीं कार्य व कार्यों में लगाई जायगी जिसके लिए कि वह प्राप्त की गई हैं।

स) ऋणी सम्बन्धित विभाग एवं बैंक के अधिकारियों को किसी भी समय अपने उस उद्देश्य को जिसके लिये ऋण लिया हैं अथवा अपनी दुकान, कार्यालय, गोदाम एवं प्रतिभूति स्वरूप दी गई सम्पत्ति व मकानात को निरीक्षण करने का पूर्ण अवसर देगा तथा उसमें पूर्ण सहयोग करेगा।

द) बैंक द्वारा प्राप्त ऋण की रकम से खरीद की हुई अथवा प्रतिभूति के रूप में दी गयी वस्तु व मकानात को विक्रय, बन्धक द्वारा अथवा अन्य किसी ऐसे रूप में परिवर्तित नहीं करेगा जिससे कि मूल्य के घटने की सम्भावना हो और अन्य किसी व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं देगा।

क) ऋणी, प्रत्येक झगड़ा, मतभेद अथवा प्रश्न उसके द्वारा अधिकार रखने वाले व्यक्तियों के बीच में होगा, उसकी रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, राजस्थान जयपुर को पंच फैसले के लिए देना पड़ेगा और इस संबंध में दिया हुआ उनका निर्णय अन्तिम निर्णय माना जावेगा और पक्षकार उसके पाबन्द होंगे।

ख) ऋणी उपरोक्त ऋण संबंधी नियमों व शर्तों या जो समय-समय पर संशोधन व परिवर्तन होते रहेंगे, उसके लिए पाबन्द रहेंगे।

13. मैं/हम ऋणी ने जो ऋण प्राप्त किया हैं, उसके एवं उसके ब्याज व इस सम्बन्ध में बैंक द्वारा जो अन्य खर्चे किये जावे, उनकी पुर्नभुगतान की सुरक्षा के रूप में दृष्टिबंधक विलेख में वर्णित सिक्योरिटीज बैंक के पक्ष में बन्धक करते हैं। इस बन्धक के सम्बन्ध में इसके अतिरिक्त निम्न शर्तें हमें मान्य है व मैं/हम वचन देते है कि :-

1. उपरोक्त प्रत्याभूति को देने और उसके स्वामित्व की सुपुदर्गी बैंक को करने में यदि बैंक चाहे, तो हमें कोई एतराज नही होगा। बैंक चाहे तो उसको बेचकर या किसी और तरीके से सम्पूर्ण ऋण एवं इस सम्बन्ध में अन्य कोई व्यय हो तो मेरे से/हमसे उससे वसूल कर सकती हैं।
2. प्रत्याभूति का पूर्ण व सही विवरण, जो बन्धक है या भविष्य में बन्धक करेंगे हम बैंक को भेजते रहेंगें।
3. जो प्रत्याभूति बन्धक है या भविष्य में बन्धक रखी जावेगी, उस पर किसी प्रकार का अन्य चार्ज या भार उत्पन्न नहीं करेंगे।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

वास्ते :

स्थान :

साक्षी :

1. .....

पता.....

2. .....

पता.....

.....

.....

.....

.....

दृष्टि बन्धक विलेख

संख्या.....

राशि.....

नाम.....

दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. भीलवाड़ा (जिसके आगे बैंक की संज्ञा दी गई है)

ने.....

(जिसके आगे ऋणी की संज्ञा दी गई) की प्रार्थना पर.....

.....उद्देश्य से ऋण प्रदान करने की स्वीकृति पर एक खाता.....

.....रुपया तक का ऋणी के नाम से खोला है अथवा खोलना स्वीकार किया है जो खाता बैंक द्वारा समाप्त न किये जाने तक चालू रहेगा और जिसकी सुरक्षा के लिए चल सम्पत्ति को दृष्टि बन्धक करने हेतु बैंक एवं ऋणी (जो व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में बाध्य होना स्वीकार करते हैं) के मध्य निम्नलिखित करार किया जाता है।

1. कि ऋणी सम्मिलित सूचिका में सामान्यत: वर्णित सामान पर बैंक के पक्ष में प्रथम प्रभार स्थापित करना है। ऋणी का यह सामान स्टाक, कच्चा अथवा तैयार माल, मशीनरी, फर्नीचर आदि जो भी सामान ऋणी के गोदाम, कार्यालय, फैक्ट्री अथवा अन्यत्र किसी स्थान में रखा हुआ संग्रहित है अथवा भविष्य में संग्रहित किया जावेगा, ऋणी द्वारा बैंक की देय रकम के भुगतान की सुरक्षा के लिए है, वह आगे उप प्राधियित सामान (हाईपोथिकेटेड गुड्स) सम्बोधित किया जावेगा। इस अनुबन्ध में वर्णित बैंक को देय रकम के अर्थ में किसी भी समय भी मूलधन की अवशेष रकम के साथ-साथ निम्न प्रकार उल्लेखित दर से सभी प्रतिदिन का ब्याज व सभी ऋण अथवा दायित्व, जिसका वर्णन आगे चरण (13) में वर्णन किया गया है और यह रकम जो भी उप प्राधियित सामान के सम्बन्ध में अथवा उसको बेचने आदि के सम्बन्ध में बैंक द्वारा चार्ज अथवा खर्च की जावेगी, समझा जावेगा।

2. कि उस प्राधियित सामान और उसकी बिक्री वसूली एवं इन्श्योरेन्स से प्राप्त सभी प्रतिफल एक मात्र बैंक की सम्पत्ति की तरह विशेषत: इस दृष्टि बन्धक रहेगा और ऋणी उसकी अथवा उसके किसी भाग को बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य ऋण की एवज में बन्धक अथवा प्रतिभूति स्वरूप नहीं रखेगा और उस पर अथवा उसके किसी भी भाग पर कभी किसी प्रकार का प्रभार उत्पन्न नहीं होने देगा और न कभी ऐसा कोई कार्य करेगा कि जिससे उस प्राधियित सामान अथवा उसकी बिक्री, वसूली एवं इन्श्योरेन्स से प्राप्त किसी प्रतिफल को हानि पहुंचे अथवा जिस कार्य के लिए बैंक द्वारा लिखित में निषेध किया गया हो।

3. कि ऋणी बैंक की पूर्व स्वीकृति के उप प्राधियित सामान को किसी प्रकार तभी व्यय कर सकता है अथवा बेच सकता है जबकि वह कम से कम उस सामान के मूल्य के बराबर रकम पहले से खाते में जमा कर दे अथवा बैंक की लिखित स्वीकृति प्राप्त करके उस मूल्य के बराबर अन्य सामान उसके स्थान पर बन्धक कर दे।

4. कि ऋणी बैंक के कर्मचारियों अथवा एजेन्ट्स को समय-समय पर अपने गोदामों अथवा उन स्थानों में जहां उप प्राधियित सामान रखा हो उस सामान का निरीक्षण, देखभाल मूल्यांकन करने अथवा सूची बनाने हेतु प्रवेश करने देगा और बैंक अथवा उसके कर्मचारियों को तदर्थ आवश्यक सुविधायें देगा।

5. कि ऋणी उन गोदामों की अथवा स्थानों का जहां उस प्राधियित सामान रखा हो, किराया एवं कर आदि सयम-समय पर अदा करता रहेगा और उनको सब प्रकार से भार मुक्त रखेगा।

6. कि उस प्राधियित सामान को आग, चोरी अथवा खराबी के कारण हुई सब प्रकार की क्षति की पूर्ति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ऋणी की होगी। अत: यह बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त कम्पनी में बैंक के हित में उप प्राधियिम सामान का भाग, चोरी आदि से रक्षार्थ आवश्यक इन्श्यारेरेन्स करा कर पालिसियां व किश्तों की रसीदें बैंक के नाम करके बैंक द्वारा मांगी जाने पर फौरन देगा और यदि ऐसा न करेगा तो तीन दिन बाद बैंक को ऋणी के खर्च से ऐसा इन्श्योरेन्स कराने का अधिकार होगा।

7. कि उक्त इन्श्योरेन्स के कारण जो कुछ रकम प्राप्त होगी, यह रकम बैंक को देय रकम के भुगतान के लिए काम आएगी और अधिक होने पर शेष रकम चरण (13) में वर्णित कार्यों की खर्च की जावेगी।

8. कि ऋणी उप प्राधियित सामान को बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मूल्य और बैंक को देय रकम के मध्य..... प्रतिशत न्यूनतम अन्तर बैंक के हित में सदैव बनाये रखेगा। यह अन्तर बैंक द्वारा किसी भी समय निर्धारित मूल्य पर आंका जा सकेगा व इस अन्तर को सदा बनाये रखने के लिए ऋणी या तो नकद रकम खाते में जमा कराता रहेगा अथवा उसी मूल्य का अन्य सामान बैंक की लिखित स्वीकृति से उप प्राधियित करता रहेगा।

9. ऋणी इस दृष्टि बन्धक लेख के अन्तर्गत बैंक से प्राप्त समस्त ऋण ब्याज व अन्य खर्चे आदि सहित ऋण प्राप्त करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि से अथवा 31-3 जो भी पहले हो चुका देगा।

10. ब्याज की शर्ते -

(अ) यह कि ऋणी द्वारा उसको उधार दिये गये मूलधन पर.....प्रतिशत वार्षिक दर से हर तिमाही के अन्त में अर्थात 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर, 31 मार्च तथा 30 जून को नकद ब्याज अदा करेगा।

(ब) कि बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर यदि ऋणी ने किसी समय बैंक को देय सम्पूर्ण रकम नहीं चुकाई है तो वह कुल मांगती रकम पर निर्धारित दर से.....प्रतिशत की दर से ब्याज का देनदार होगा।

11. बैंक को देय रकम के भुगतान का उपरोक्त शर्तों को अथवा इस इकरार की किसी शर्त का ऋणी द्वारा उल्लंघन होने पर बैंक के ऑफिसरों अथवा एजेन्ट्य को, ऋणी के हर्जे खच्रे की यदि जरूरत हो तो ऋणी के मुख्तार की तरह ऋणी की बजाय अथवा ऋणी की ओर से उन सभी स्थानों पर जहां उप प्राधियित का सामान रखा हो प्रवेश करने का, रहने का, उप प्राधियित सामान को कब्जे में लेने का, वसूल करने का अथवा सम्भाल लेने का अधिकार होगा। उस कार्य के लिए बैंक के किसी अफसर को रिसीवर के रूप में नियुक्त करके, नीलाम करके, बेचने का व्यक्तिगत कराक करके अथवा अन्य किसी प्रकार भी उप प्राधियित सामान तथा उसके कसी भाग का प्रबन्ध करके बैंक के उपरोक्त अफसरों के द्वारा इस प्रकार सम्बन्ध में स्वेच्छा से किसी प्रकार का समझौता करके, हिसाब करके, वसूली करके अथवा अन्य किसी प्रकार सौदा करके बेचने से प्राप्त रकम की बैंक को देय किसी रकम के भुगतान के लिये ले सकता है मगर बैंक अपने उक्त अधिकारों के प्रयोग के कारण हुए किसी खर्च का अथवा हर्जे का जिम्मेदार नहीं होगा। बैंक अपने अधिकारों के सम्बन्ध में न्यायालय से अथवा राजस्थान कॉ. ऑप. सोसायटी एक्ट 1965 अथवा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार विधिक सहायतायें भी प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा ऋणी करार करता है कि वह बैंक द्वारा रखे गये गिरवी सामान के बेचान के हिसाब को सही मानकर खाते में बकाया रही रकम को पूरा करने का स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

12. कि यदि उपरोक्त प्रकार बेचान से प्राप्त रकम उस उक्त खाते के हिसाब में बकाया रकम के चुकता भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं हो तो बैंक ऋणी का अथवा उनमें से किसी का वह सब धन जो बैंक के उस वक्त

साध्य हो, उक्त खाते के हिसाब में बाकी की देय रकम के भुगतान में ले सकता है फिर भी चुकता भुगतान के लिए अपर्याप्त हो तो ऋणी वादा करता है और करार करता है कि वह चरण (14) में उल्लेखित प्रकार से रखे जाने वाले उस हिसाब पर अदायगी के बाद की स्वीकृति में अपने दस्तखत कर देगा किन्तु इससे बैंक के खाते में किसी समय भी बाकी देय रकम की वसूली करने के सम्बन्ध में बैंक को उपरोक्त स्वीकृति से उसके किसी अधिकार पर न तो कोई विपरीत प्रभाव होगा, न ही कोई आपत्ति की जावेगी।

13. कि उक्त प्रकार बेचान से प्राप्त शुद्ध आय में से यदि बैंक को देय सभी रकम के चुकता भुगतान के बाद कुछ शेष रहे तो यह भी बैंक ऋणी अथवा उनमें से किन्हीं के, बैंक के अधीन अन्य खातों की रकम के साथ-साथ बैंक के प्रति ऋणी अथवा उनमें से किन्हीं के विरूद्ध व्यक्तिगत अथवा सम्मिलित रूप से अवशेष किन्हीं और लोन्स, डिस्काउन्टेड बिल्स लेटर्स ऑफ क्रेडिट गारन्टीज चार्जेज चालू या देय अन्य ऋण दायित्व विधिक या सामयिक सब प्रकार की जिम्मेदारियों सहित चाहे ऋणी दिवालिया करार दिया जा चुका हो अथवा दिया जाये या किसी प्रकार लिक्वीडेशन में हो तो भी, ब्याज सहित चुकती भुगतान करने में लगा सकता है।

14. कि ऋणी इकरार करता है कि वह बैंक के एकाउन्टेन्ट अथवा अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए हुए ऐसे हिसाब को, जिसके द्वारा ऋणी से देय रकम की मांग की जावे, बिना किसी वाउचर, दस्तावेज अथवा अन्य लिखावट दिखाने की मांग किए सही मानेगा।

15. कि इस इकरार समय-समय पर अथवा बैंक को अंतिम देय रकम की सुरक्षा में सदैव प्रतिभूति स्वरूप कायम रहेगा और खाते में किसी समय देय रकम की जमा के उपरान्त भी प्रतिभूति अथवा उस प्राधियिति सामान इसी प्रकार तब तक सुरिक्षत समझा जावेगा जब तक कि बैंक लिखित में इस इकरार को समाप्त नहीं कर देता।

16. कि ऋणी घोषित करता है/ करते हैं कि सब उस प्राधियित सामान ऋणी की एक मात्र सब प्रकार के भार से पूर्ण मुक्त सम्पत्ति है और आयन्दा भी सामान इसके अन्तर्गत आयेगा वह भी इस प्रकार भार मुक्त होगा कि ऋणी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है अथवा ऐसे किसी कार्य में भाग नहीं लिया है अथवा ऐसे किसी आवश्यक कार्य को करने में भूल-चूक नहीं की है, जिससे कि उक्त उप प्राधियित सामान अथवा उसमें से कुछ वे बन्धक नहीं रख सके और प्रतिज्ञा करते हैं, कि वे बैंक चाहने पर यह सब कार्य अपने खर्चे से करेंगे, जिससे कि इस इकरार का बैंक के हित में अक्षरशः सही प्रकार पालन हो सके।

17. कि यदि ऋणी फर्म है अथवा सदस्य है तो फर्म के नाम व विधान में इस इकरार की अवधि तक ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा जिससे की ऋणी अथवा उनमें से किन्हीं के उसके वर्तमान दायित्व में कमी हो जाये अथवा दायित्व से छुटकारा मिलता हो।

इस दृष्टि बन्धक विलेख पर निम्न की साक्षी में आज दिनांक .....को ऋणी ने निम्न गवाहों के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं जो सनद रहे और समय पर काम आवे।

गवाह 1. हस्ताक्षर.....

नाम.....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

2. हस्ताक्षर.....

पता.....

नाम.....

अधिसूची

दृष्टि बन्धक विलेख के जरीये कालेटरल सिक्योरिटी बतौर दृष्टिबंधक रखे गये चल सम्पत्तियों की सूचि

दृष्टि बंधक रखे गये माल का सक्षिप्त विवरण	तादात	बाजार मूल्य रु..

उक्त अधिसूची के अन्तर्गत प्रत्येक पाक्षिक प्रस्तुत किये गये स्टाक की सूचि दृष्टि बंधक विलेख के अन्तर्गत कार्यवाही योग्य होगी।

हस्ताक्षर

भीलवाड़ा

ऋण आवेदक

दी सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भीलवाड़ा

वचन-पत्र

रुपये..... दिनांक.....

मैं/हम .....पुत्र.....

दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भीलवाड़ा को/अथवा उसकी आज्ञानुसार मांग करते ही रुपये .....

.....जो हमने प्राप्त किए हैं..... प्रतिशत वार्षिक दर से चुकाने का वचन देता हूं/देते हैं।

1/-
रसीदी टिकिट

श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय,
दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. भीलवाड़ा
शाखा.....

स्टाम्प 10/-

::: अविरल-पत्र :::

दिनांक.....

मान्यवर,

मैं/हम.....एक वचन

पत्र रू. ..... अक्षरे.....

मात्र का संलग्न करते हे जिस पर मैंने/हमने हस्ताक्षर किये है जो किसी ऋण राशि चूकाने हेतु प्रत्याभूति स्वरूप से आपके यहां जो मेरे/हमारे नाम है या बाद में नाम हो के भुगतान के लिये देते है। यह राशि अभी हमारे नाम पड़ी है के लिए जिम्मेदार है। उपरोक्त वचन पत्र अदेय ऋण की बाकी रकम के पुर्नभुगतान के लिए प्रत्याभूति स्वरूप समझा जावे और उपरोक्त वचन पत्र के प्रति उस समय तक उत्तरदायी है जब तक की उसका चूकता भुगतान नहीं हो जाता है चाहे ऋण की रकम समय-समय पर कम होती रहे अथवा समस्त समाप्त हो जावे अथवा बढ़ जाए।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

भीलवाड़ा

ऋण आवेदक

RNF-7

LETTER OF LIEN AND SET OFF

DATE :.....

To
The Managing Director
The Central Bank Limited,
Bhilwara

Dear Sirs,

In consideration of your making advances to me/us and/or giving me/us banking accommodation and facilities by way of loan/ overdraft/cash credit from time to time, I/we agree with you as follows : -

1 That you may hold all securities belonging to me/us (which may now be in your possession or which may at any time hereafter come into your possession) and the proceeds thereof respectively not only for the specific advance made thereon but also as collateral security for any other moneys now due or which may at any time be due for me/us to you, whether singly or jointly with another or others.

2. That in addition to any general lien or similar right to which you as bankers may be entitled by law, you may at any time and without notice to me/us combine or consolidate all or any of my/our accounts with and liabilities to you and set off or transfer any sum or sums standing to the credit of any one or more of such accounts in or towards satisfaction of any of my/our liabilities to you on any other account or in any other account or in any other respect, whether such liabilities be actual or contingent, primary or collateral and several or joint.

3. That if any balance of the sale proceeds shall remain in the hands of the Bank after the sale of any of the securities, the Bank may at its sole discretion appply the balance if any towards any sum or sums of money that may be owing by me/us to the Bank upon any other account or any. other transaction or transactions separate or distinct from the security, and you will pay to me/us any surplus which may remain after settlement of all claims of your bank against me/us.

Dated at..... this.....day of.....

Yours faithfully

Borrower
Name_____
Address_____

MORTGAGE

EQUITABLE MORTGAGE (MEMORANDUM ACCOMPANYING DEPOSIT OF DEEDS)

MEMORANDUM

I/we.....

.....aged.....years

in consideration of the sum of Rs .....

(Rupees.....)

advance to me (.....)

by The Central Co-Operavtive Bank Limited Bhilwara .....

Registered under Rajasthan Co-operative Societies Act with Registered office at Bhilwara .....

.....the receipt where of I/we do hereby accknowledge, have this, the day herein helow mentioned. deposited with the said The Central Co-operavtive Bank Limited, Bhilwara. The deeds and documents set out in the list here to as security, for the repayment of the said sum of Rs

.....(Rupees.....

.....) with interest thereorn at the rate of.....precent per annum from the date here of till full payment.

In witness this day .....

.....
Witness

_____
MORTGAGER

EQUITABLE MORTGAGE- Deposit of title Deed to secure a given sum and interst repayable within a fixed period

THIS EQUITABLE MORTGAGE IS MADE ON THE.....

.....BETWEEN.....

.....

.....mortagger(s) of the one part and .....THE CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED, BHILWARA having its registered Office at Bhilwara on the other part.

Whereas the siad THE CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED, BHILWARA has advanced to the said .....the sum of Rs..... (Rupees.....) The receipt where of the said..... THE CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED, BHILWARA NOW IN CONSIDEREATION of such advances agreegating the aforesaid sum of Rs..... (Rupees.....

and for further securing the repayment there of on demand with interest there on at the rate of .....precent per annum from the date of deposit with the said , ... THE CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED, BHILWARA the deeds documents pertaning to the title to.....and do hereby charge the premises comprised in the said deeds of documents with the repayment of the said sum of Rs. ..... (Rupees.....) with interest there on at the rate of .....percent per annum or such rate interest to be payable monthly along with Principal on or beofre 10th day of each month.

AND IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS :

1. That should any interest remain unpaid for a period of more than six month from its accrual and/ or after the expiry of the period specified herein the said THE CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED, BHILWARA shall have the right to call or enforce payment of the sums under this mortagage.
2. That ..... shall pay the intrest as stated above and on failure it shall be added to the principal such principal Shall in any case be repaid in monthly instalment of Rs..... Rupees.....) only, commencing from.....

.....

shall on demand by the said ..... THE CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED, BHILWARA and at his cost exceute a SIMPLE MORTAGAGE of the property hereby mortagaged in the terms and conditions as to interest and manner of payments specified her in and such other conditions as may be imposed by ..... THE CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED, BHILWARA

in WITNESS WHERE OF the said .....

.....

.....have here to signed at.....the day and the year first above metioned.

Witness :

.....
Mortgager

The Central Co-Operative Bank Limited,

BHILWARA 311 001

* * *

SCHEDULE OF PROPERTY

List of documents deposited with The Central Co-Operative Bank Limited, Bhilwara relating to the property comprising.....

.....

.....

bounnded as below : -

1. Sale deed dated.....executed by .....

.....

.....

.....

We, THE CENTRAL CO-OPERAVTIVE BANK LIMITED, BHILWARA do hereby acknowledged to have this day recieved the above listed deed and documents and undertake to redeiliver the same intact (damage by fire or other/inevitableaccident only excepted) to the said.....

.....

.....

.....

on receipt by us of the money by Equitable Mortagage of even date.

Dated this the.....

BRANCH MANAGER

MORTGAGEE

* Receipt of documents to be given by the Mortagagee to the mortagager,

LETTER OF WAIVER

Place .....

Date .....

The Branch Manager,

The Central Co-operative Bank Ltd., Bhilwara

.....Branch

Dear Sir,

With reference to my/our Demand promissory Note dated the.....for Rs.....(Rupees.....) executed by me/us in your favour. I/we have to place on record that I/we do hereby waive my/our right/right to take advantage of any default in presentment for payment of the said Promissory Note to me/us, as required by law.

Yours faithfully

Signature (s) :.....

Name (s) :.....

Designation :.....

Seal :

दी सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भीलवाड़ा

शाखा.....

घोषणा-पत्र

श्री/श्रीमति/मैसर्स.....

के ऋण.....के सन्दर्भ में।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं / करती हूं कि आज दिनांक .....को .....

.....की उपस्थिति के अंगूठे के निशान/हिन्दी/उर्द्ध/अंग्रेजी में हस्ताक्षरित निम्न ऋण प्रलेखों की अर्न्तवस्तु को अनुवन्दित कर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये है। इन सभी प्रलेखों का अर्न्तवस्तु एवं अर्थ मुझे पूर्ण रूप से पता है।

ऋण प्रलेखों का विवरण

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....
11. .....
12. .....
13. .....
14. .....
15. .....

उपरोक्त प्रलेखों पर हस्ताक्षरकर्ता

हस्ताक्षर

नाम :

पता :

दिनांक :

श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक महोदय,

दी सैण्ट्रल को-आपरेटिक बैंक लि., भीलवाड़ा

भीलवाड़ा (राज.)

द्वारा:- **शाखा व्यवस्थापक शाखा-..... ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण लेने के संदर्भ में**

महोदय,

उपरोक्त विषय मे आवेदन है कि मैंने .....ऋण योजना के अन्तर्गत रूपये ..... अक्षरे रूपये .....का ऋण आवेदन किया है जिसकी स्वीकृति आप द्वारा दी गई है मैं इस ऋण के सन्दर्भ में आपको निम्नलिखित अधिकार देता हूं।

1. उपरोक्त ऋण चुकाने में यदि मैं किसी प्रकार की चूक करता हूं या नियिमित रूप से किश्ते चुकाने मे असमर्थ रहता हूं तो बैंक मेरा नाम सावर्जनिक तौर पर उजागर कर सकता है।

2. बैंक द्वारा जब भी उपरोक्त ऋण की अदायगी में कभी भी किसी प्रकार से ऋण जमा कराने के निर्देश देगा उसी अनुरुप में ऋण जमा करा दूंगा।

3. मेरे नाम से, मेरे हिन्दू अविभाजित परिवार के नाम से अथवा मेरे परिवार के नाम से समस्त चल व अचल सम्पत्ति को बेचकर ऋण राशि जमा कराने का अधिकार बैंक को देता हूं जिस पर मुझे किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा।

4. स्टाम्प लॉ में संशोधन अथवा भविष्य में होने वाले संशोधन को देखते हुए अगर दस्तावेज पर स्टाम्प डयूटी लगाई जाती है अथवा कम पाई जाती है जो उसको पूरा करने का दायित्व मेरा होगा और इस हेतू कोई आपत्ति स्टॉम्प डयूटी के सन्दर्भ में होने की, उठाने का अधिकारी नहीं होउंगा।

5. ऋण स्वीकृति पत्र की शर्त सं.....से .....तक मुझे मान्य है।

उपरोक्त बिन्दू 1 से 5 तक के अधिकार बैंक को देने की शपथ करता हूं।

हस्ताक्षर

हम उपरोक्त ऋण में जमानतदार है तथा बिन्दू संख्या 1 से 5 तक के अधिकार हमारे पर भी लागू होगें ये सभी अधिकार हम बैंक को देते हैं। इनमें हमें कोई एतराज नहीं हैं।

1. हस्ताक्षर जमानतदार

2. हस्ताक्षर जमानतदार

(प्रारूप पर ऋणी/जमानत दार के हस्ताक्षर नहीं कराकर प्रथक से हस्तलिखित/टंकणसुदा प्रत्र जरिए डाक से प्राप्त करें)

श्रीमान् शाखा व्यवस्थापक
दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.भीलवाड़ा
शाखा.....

प्रिय श्रीमान्

जैसा कि मुझे/हमें जरिए ऋण स्वीकृति पत्र क्रमांक..... दिनांक..... से रु.....का ऋण बैंक की.....ऋण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है जिसके लिए बतौर सिक्योरिटी मेरे द्वारा अचल सम्पति जिसका विवरण निम्नानुसार है के मूल दस्तावेज बैंक में दिनांक.....को प्रस्तुत कर दिये गये है। जिसकी पुष्टि करता हूं।

मैरे द्वारा उक्त सम्पत्ति के दस्तावेज प्रस्तुति की बैंक से रसीद प्राप्त कर ली गई है। अतः सुचनार्थ प्रेषित है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

पता.....

दिशा 1. पूर्व.....

2. पश्चिम.....

3. उत्तर .....

4. दक्षिण .....

भवदीय

हस्ताक्षर
ऋणी/जमानतदार